(भूमि अधिग्रहण शाखा)

दिनांक 07 मई, 2024

अधिसूचना

फा0 सं0 9(29)/भूमि एवं भवन/भू0अधि0/2020/ : गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं0 एस0ओ0 2740 (ई) के साथ पठित दिनांक 21 जुलाई, 2015 की अधिसूचना सं0 एस0ओ0 2004 (ई) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन (सामाजिक प्रभाव, आंकलन एवं अनुज्ञा) में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2014 के नियम 3 के उप–नियम (1) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारका परियोजना फेस–I हेतु राजस्व संपदा ग्राम पालम में खसरा सं0 34//15(3–12), 34//16 (4–16), 34//17/1(3–12), 34//17/2(1–04) तथा 34//25 (4–16) मापे जाने वाले क्षेत्र 18 बीघा को सम्मिलित करते भूमि अधिग्रहण करने का प्रयोजन रखते हैं। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली–110002 को दिनांक 07/05/2024 की अधिसूचना फा0सं0.9(29)/भूमि एवं भवन/भू0अधि0/2020/1147 के द्वारा पूर्वोक्त भूमि के संबंध में सामाजिक प्रभाव आंकलन अध्ययन करने के लिए सामाजिक प्रभाव आंकलन इकाई के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

आगे, सामाजिक प्रभाव आकलन का मुख्य उद्देश्य आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण तथा जन–सुनवाई के लिए हित धारकों तथा जनता से परामर्श करना है। सामाजिक प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन तथा सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना के लिए समयावधि शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से छह माह की होगी तथा इसे प्रभावी क्षेत्रों में विशिष्ट स्थानों पर तथा जिला कलेक्टर (दक्षिण–पश्चिम), कापसहेड़ा, नई दिल्ली–110037 के कार्यालय में, जैसी भी स्थिति हो, वेबसाइट, पोस्टर, सूचना–पत्र एवं जन–सुनवाई के माध्यम से प्रदर्शित किया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

(मनविंदर सिंह)
उप–सचिव (भूमि एवं भवन)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

फा0 सं0 9(29)/भूमि एवं भवन/भू0अधि0/2020/1161–72

दिनांक 07 मई, 2024

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारितः–

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली–110054
2. स्टॉफ अधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली–110002
3. एस0 ओ0, अपर मुख्य सचिव (भूमि एवं भवन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, विकास भवन, नई दिल्ली–110002
4. निजी सविच, मण्डलीय आयुक्त/अपरमुख्य सचिव, राजस्वविभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 5, शामनाथ मार्ग, दिल्ली–110054
5. जिला मजिस्ट्रेट (मुख्यालय–1), 5; शामनाथमार्ग, दिल्ली।
6. जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण–पश्चिम), जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय (दक्षिण–पश्चिम), डी0सी0कार्यालय परिसर, ओल्ड टर्मिनल टैक्स भवन, कापसहेड़ा, नई दिल्ली–110037
7. अपर जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण–पश्चिम), जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय (दक्षिण–पश्चिम), कार्यालय परिसर, ओल्ड टर्मिनल टैक्स भवन, कापसहेड़ा, दिल्ली–110037
8. निदेशक (एलएम), दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'ए' ब्लॉक, तृतीय तल, विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली–110023
9. उप–सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार आई0पी0 एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली–110002 को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
10. उप–निदेशक (एलएम) एसडब्ल्यूजेड, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दक्षिण–पश्चिम अंचल, कक्ष सं0–1, कार्यालय परिसर, सुभाषनगर क्रॉसिंग, नई दिल्ली–110027
11. प्रोफसर के0के0 पाण्डेय, समन्वयक (सीयूएस), भारतीय लोकप्रशासन संस्थान (आईआईपीए), इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंगरोड, नई दिल्ली–110002
12. प्रणाली विश्लेषक (भूमि एवं भवन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अधिसूचना को अपलोड करने के लिए अनुरोध सहित।

(मनविंदर सिंह)
उप–सचिव (भूमि एवं भवन)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार